संख्या-42/2016/396/22-4-16-48(99)15

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-31 मार्च, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बंदियों को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि को पुलिस आवास निगम के पी0एल0ए0 संरक्षित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9575/आधु-1/आर0ओ0/2015, दिनांक 30.03.2016 के संदर्भ में एवं पत्र संख्या-206/2015/1357/22-4-15-48(99)15, दिनांक 27.11.15 के संदर्भ में

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजयपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बंदियों को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना किये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष रू0 1,73,90,544/-(रूपया एक करोड़ तिहत्तर लाख नब्बे हजार पॉच सौ चैवालीस मात्र) को पुलिस आवास निगम के पी0एल0ए0 में संरक्षित रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि यथासमय वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

(2) धनराशि आहरित करने के उपरान्त जो धनराशि शेष बचेगी उसे राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पी0एल0ए0 में रक्षित की जाने वाली धनराशि का शुद्व उपयोग दिनांक 30.06.2016 तक कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-424/दस/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-42/2016/396(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महानिदेशक, पुलिस आवास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in